



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13462

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19382 सन् 2025

अनिल कुमार सिंह और 119 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 25 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: कुंदन मिश्रा, राजेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथपत्र अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंदन मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हैं। याचिकाकर्ता संख्या 26 और 94 को न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता है और उन्हें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता है।
3. तदनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 26 और 94 की ओर से दायर याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है और उन्हें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
4. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात हैं और राज्य सरकार के अधीन समूह सी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है और वे 2 दिसंबर 2000 को जारी शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए 19 वर्ष की सेवा की गणना करते समय समूह सी कर्मचारी के रूप में सेवा करने से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यतीत सेवा अवधि को ध्यान में रखें।

6. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। साथ ही इसी प्रकार की याचिका रिट याचिका संख्या 6429/2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य) पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसका निर्णय 22.02.2018 को हुआ था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतरा-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसरण में उचित ठहराया गया था।

7. मामले की गुण-दोषों पर विचार किए बिना, अदालत में दिए गए निवेदनों पर गौर करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, लखनऊ स्थित पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) स्थापना को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।